"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोशन निर्मल आत्मज श्री विष्णुप्रसाद निर्मल, उम्र 30 वर्ष, निवासी-न्यू पीरप्पा किराना स्टोर्स के सामने, वृन्दानगर, केम्प-1, वार्ड नं.-19, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे स्कूल व कालेज के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेज ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड, राजस्व अभिलेखों, शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रोशन निर्मल आ. श्री विष्णुप्रसाद निर्मल दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रोशन निर्मलकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रोशन निर्मलकर आ. श्री विष्णुप्रसाद निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रोशन निर्मल
आत्मज-श्री विष्णुप्रसाद निर्मल
निवासी-न्यू पीरप्पा किराना स्टोर्स के सामने, वृन्दानगर, केम्प 1,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

रोशन निर्मलकर
आत्मज-श्री विष्णुप्रसाद निर्मलकर
निवासी-न्यू पीरप्पा किराना स्टोर्स के सामने, वृन्दानगर, केम्प 1,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्द राम ढाले, उम्र 25 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा, तहसील डौंडीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा पहली से बारहवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, निवास प्रमाण पत्र में मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार पिता श्री मकुन्द राम दर्ज है तथा मेरे अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र स्नातक, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड में मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्द राम ढाले दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सत्येन्द्र कुमार ढाले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सत्येन्द्र कुमार ढाले पिता श्री मकुन्दराम ढाले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सत्येन्द्र कुमार
पति-श्री मकुन्द राम
माता-सुलेना बाई
निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा,
तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)
पिन नं. 491 771

नया नाम

सत्येन्द्र कुमार ढाले
पति-श्री मकुन्द राम ढाले
माता-सुलेना बाई ढाले
निवासी-वार्ड नं. 15, रामनगर डौंडीलोहारा,
तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)
पिन नं. 491 771

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमा कुमार वर्मा पिता श्री रिखी राम वर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी-बलभद्र वार्ड भाटापारा तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 21-7-2012 को आडिल अस्पताल भाटापारा में हुआ. नगरपालिका परिषद भाटापारा द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में नीरव वर्मा दर्ज किया गया है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर सक्षम वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को सक्षम वर्मा पिता श्री उमा कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नीरव वर्मा (NEERAV VERMA)
पिता-श्री उमा कुमार वर्मा
निवासी-बलभद्र वार्ड क्र. 17, मयूर हाई स्कूल के पास,
भाटापारा, तहसील भाटापारा
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
पिन 493118 फोन : 8223839129

नया नाम

सक्षम वर्मा (SAKSHAM VERMA)
पिता-श्री उमा कुमार वर्मा
निवासी-बलभद्र वार्ड क्र. 17, मयूर हाई स्कूल के पास,
भाटापारा, तहसील भाटापारा
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
पिन 493118 फोन : 8223839129

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2014/843.—पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./पंजीयन/2012/4621 दिनांक 30 जून 2012 के परिपालन में निर्वाचन वर्ष 2012-13 की पूर्ण तैयारी कर तदासय का प्रमाण-पत्र भिजवाने और आवश्यक होने पर भंडार के उपनियम में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भंडार के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया था. थोक भंडार के प्रभारी अधिकारी ने अपने पत्र क्र. दिनांक 27-07-2012 में यह अवगत कराया गया है कि निर्धारित संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के सदस्य नहीं बनने व सदस्यों एवं पदाधिकारियों का भंडार में चुनाव कराने तथा संस्था को चालू रखने एवं कार्य व्यवसाय में कोई रूचि नहीं है. भंडार के चुनाव के लिए आवश्यक धन राशि संस्था के बचत खाता में जमा नहीं है. फलस्वरूप थोक उपभोक्ता भंडार का चुनाव कराने तथा उपनियम में संशोधन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, लेखकर भंडार को परिसमापन में लाने हेतु जवाब प्रस्तुत किया गया. प्राप्त जवाब के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है. इससे मेरी स्पष्ट राय है कि भंडार के उपविधि में वर्णित प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सदस्य नहीं बने हैं तथा भंडार का चालू रखने व व्यवसाय बढ़ाने में पदाधिकारियों एवं सदस्यों में कोई रूचि नहीं है. इस प्रकार समिति का जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं है. उक्त सोसाइटी ने समिति उपविधि अनुसार लंबी अवधि से कार्य करना बंद कर दिया है.

अत: मैं श्री एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, कांकेर, छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, प्रयोग करते हुये उक्त सोसाइटी भंडार को परिसमापन में लाता हूं तथा धारा 70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.